मा०ग्र०/03 N.O.C.

संख्या- 1304 /15-7-03-161 31 1/2003

प्रेषक,

ओम प्रकाश गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 18 जुलाई 2003

विषय:- विद्या सागर स्कूल मोहननगर, पिलोनी रोड, बहीत मार्ग का सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

—2—

(15) संस्था शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(16) कर्मचारियों की सेवा शर्तें [illegible] नियमों/अपेक्षाओं और उन्हें तदाधार प्राप्त [illegible] कर्मचारियों के अनुरूप [illegible] सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(17) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

(18) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(19) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।

<u>पृष्ठसंख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मेरठ मण्डल** ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **बागपत** ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- प्रबंधक, **विद्यासागर स्कूल मोहननगर, बिनौली रोड, बड़ौत, बागपत** ।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।

VIDYA SAGAR SCHOOL
PRINCIPAL
BARAUT (BAGHPAT)

For VIDYA SAGAR SCHOOL

Chairman Secretary